न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम कासोरिया तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

ा०स० – 56/17

उनवान

1 रामगोपालदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
——————————(प्रार्थीगण)

बनाम

1. सुखा पिता मोडा लोहार निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2. जयरामदास पिता नन्दादास बैरागी निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3. गजानन्द पिता रामचन्द्र ओझा निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4. महावीर पिता शंभुदास बैरागी निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5. रतनदास पिता मोडदास बैरागी निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6. शान्तिलाल पिता सीतारामदास बैरागी निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
7. बी०ओ०बी० बेंक शाखा डाबला जरिये मेनेजर बी०ओ०बी० बेंक शाखा डाबला तहसील बनेडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ——————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 28.06.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 03.04.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया भू०अ०नि० डाबला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की **कृषि भूमि खाता संख्या 394 के आ०न० 818, 1788, 1789, 1790, 1878 कुल किता 5 कुल रकबा 09–01 बीघा,** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.04.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कासोरिया में दिनांक 28.06.2017 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया भू०अ०नि० डाबला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 394 के आ०न० 818, 1788, 1789, 1790, 1878 कुल किता 5 कुल रकबा 09–01 बीघा,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक डाबला को 900/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कासोरिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाडा राज
दिनांक: 28.06.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 56/2017
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाडा